

Serial No. :- 1947

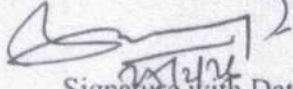
Deed No. :- 1908



Govt. of Bihar
Sub-Registry Office, Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **25/02/2026** by **Nagendra Singh**. A Stamp Duty of **Rs. 19000/-**, Registration Fee of **Rs. 20000/-** and other Fees of **Rs. 500/-** have been paid in it. The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants, and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

This document has been registered as Deed No. **1908** in Book No. **1** Volume No. **56** on pages from **299** to **311** and has been preserved in total **13** page in database.


 Signature With Date
Kumari Sweety
 Registering officer, Danapur

Date : 25/02/2026

Application No. : 260500200277

Shrishty Comtrade Pvt. Ltd

Director

Suraj Kumar
 13/2/26

मौजा - जलालपुर - 22
 एक मुची खेराया फर्निचर लिस्ट स
 मलान किया।

दस्तावेज जांचा

लिपिक 25/02/26

विकास एकरारनामा

(DEVELOPMENT AGREEMENT)

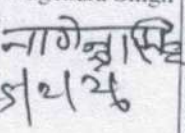
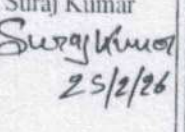
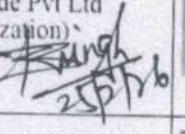
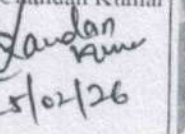
यह विकास एकरारनामा आज दिनांक ——— माह फरवरी 2026 को

निम्नलिखित पक्षकारों के बीच निष्पादित किया



नागेन्द्र सिंह
 13/2/26

Sub-Registry Office, Danapur (2802)

Application No	260500200277	Registration year	2026	Serial No	1947	Deed No	1908	
Details Captured By Office							Details from UIDAI (if Consent Yes)	
Party Details	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little	Aadhaar Photo	eKYC Detail
Party Type : Executant Name : Nagendra Singh Sign & Date :  25/2/26								Name : Nagendra Singh Date & Time : 25/02/2026 11:48 AM Aadhaar : *****9518
Party Type : Executant Name : Suraj Kumar Sign & Date :  25/2/26								Name : Suraj Kumar Date & Time : 25/02/2026 11:47 AM Aadhaar : *****4090
Party Type : Claimant Name : Birendra Kumar Authorized By : Shristy Comtrade Pvt Ltd (Organization) Sign & Date :  25/2/26								Name : Birendra Kumar Date & Time : 25/02/2026 11:49 AM Aadhaar : *****9272
Party Type : Identifier Name : Chandan Kumar Sign & Date :  25/02/26								Name : Chandan Kumar Date & Time : 25/02/2026 11:50 AM Aadhaar : *****1653
Party Type : Attesting Witness Name : Subodh Kumar Sign & Date :	N/A						N/A	



नागेन्द्रसिंह
 15/2/26
 25/2/26

(2)

1. श्री नागेन्द्र सिंह , उम्र 76 वर्ष , पिता का नाम स्वर्गीय देवदत्त सिंह ,
मो0 न0 9102004358
आधार न0 7488 3989 9518
PAN-- EWJPS 5910Q
2. श्री सूरज कुमार , उम्र 36 वर्ष , पिता का नाम श्री नागेन्द्र सिंह ,
मो0 न0 9431069788
आधार न0 5067 9556 4090
PAN-- BDIPK 7611M

दोनो का निवास स्थान जलालपुर , थाना - रूपसपुर , पत्रालय - सहाय नगर धनौत , जिला - पटना - 801506 , बिहार भारतीय नागरिक , **भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष)** , भूखण्ड स्वामी से अभिप्राय उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिसका सम्बन्ध भूखण्ड स्वामी की भूखण्ड तथा भूखण्ड में निहित प्रतिनिधि , वारिसान , सदस्य , प्राधिकृत एजेन्ट , उत्तराधिकारी एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि सम्मिलित है ।

एवं

सृष्टि कॉमट्रेड प्रा0 लि0 , मुरली चक , जगदेव पथ , थाना हवाई अड्डा , पत्रालय - बी0 भी0 कॉलेज , जिला - पटना - 800014 , निबंधन संख्या U45200BR2009PTC014969 , जिन्हें इसके पश्चात **विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष)** के नाम से सम्बोधित किया जायेगा , विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) से अभिप्राय यह है कि उनके उत्तराधिकारी एवं प्राधिकृत एजेन्ट तथा चयनित उत्तराधिकारी से है , जिनका संबंध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष विकासकर्ता से है , सम्मिलित किया जाता है । विकासकर्ता सृष्टि कॉमट्रेड प्रा0 लि0 , द्वारा निदेशक श्री विरेन्द्र कुमार उम्र 50 वर्ष , मो0 न0 9939391969 , आधार न0 3888 0835 9272 , पिता का नाम स्वर्गीय राम दहिन सिंह , निवास स्थान मुरली चक , जगदेव पथ , थाना हवाई अड्डा , पत्रालय - बी0 भी0 कॉलेज , जिला पटना - 800014 , भारतीय नागरिक , जो भूखण्ड स्वामी के घर जाकर उनके सर्वे प्लॉट संख्या 348 , रकबा - करीब 36.39 वर्गमीटर यानि मवाजी 392 वर्गफीट मौजा जलालपुर , थाना दानापुर हाल थाना रूपसपुर , जिला पटना , तौंजी

Shrishy Comtrade Pvt. Ltd

Director

Suraj Kumar

13/2/26

नागेन्द्र सिंह
13/2/26



(3)

संख्या 5778 , थाना संख्या 22, जिला पटना पर बहुमंजली इमारत बनाने का प्रस्ताव किया तथा दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हुये निम्नलिखित शर्तों पर इस स्वीकार करते है।

सहमत है ।

यह कि अनुसूची - 1 में वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष की सर्वे खतियानी सम्पत्ति है। जो सर्वे खतियान में चुनचुन सिंह का नाम दर्ज है। अन्तराल में चुनचुन सिंह अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः राम चन्द्र सिंह वो श्री हजारी सिंह वो श्री बादल सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। श्री बादल सिंह संयुक्त परिवार में ही नावलद स्वर्गवास कर गये। वो श्री चुनचुन सिंह के मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह एवं श्री हजारी सिंह आपस में खानगी बटबारा से बँट गये तथा श्री रामचन्द्र सिंह अपने पीछे एक मात्र पुत्र श्री रामवृक्ष सिंह को छोड़कर स्वर्गवास किये। श्री रामवृक्ष सिंह ने अपने हिस्से में मिले जायदाद को निबंधित वशिका से 04-07-1967 ई0 को प्रथम पक्ष जमीन मालिक के पिता श्री देवदत्त सिंह के नाम रजिस्ट्री कर दिये। इस प्रकार अनुसूची संख्या 1 की सम्पूर्ण एराजी का मालिक श्री देवदत्त सिंह हो गये। तथा श्री देवदत्त सिंह अपने पीछे दो पुत्र क्रमशः श्री सुरेन्द्र सिंह वो श्री नागेन्द्र सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। इस प्रकार प्रथम पक्ष श्री नागेन्द्र सिंह एवं उनके भाई सुरेन्द्र सिंह अनुसूची न0 1 की सम्पत्ति को अपने सहमति से बंटबारा कर दखल कब्जे में चले आ रहे हैं। जिसका राजस्व रसीद प्रथम पक्ष को अपने हिस्से में मिले सम्पत्ति का रसीद कटता चला आ रहा है। जिसपर प्रथम पक्ष श्री नागेन्द्र सिंह एवं उनके पुत्र श्री सूरज कुमार का स्वामित्व , अधिकार एवं शान्तिपूर्वक दखल कब्ज में है।

1. यह कि उपर वर्णित प्रथम पक्ष के सदस्य भूखण्ड स्वामी है जो कि भूखण्ड जिसका रकबा करीब 36.39 वर्गमीटर यानि मवाजी 392 वर्गफीट के मालिक मुस्तकील निर्विवाद रूप से है जो मौजा जलालपुर , जो अभिमन्यु नगर , में स्थित है। परगना फुलवारी , सर्वे थाना दानापुर , हाल थाना रूपसपुर , जिला पटना जो अवर निबंधन कार्यालय दानापुर तथा जिला एवं सदर निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधीन है। जिसका सर्वे थाना न0 22 , खाता न0 178 , सर्वे खसरा न0 34

Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

Surya Kumar
13/2/26



(4)

एवं नगर परिषद् दानापुर के अन्तर्गत है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार से वर्णित है। जिसका मूल्य मो0 9,50,000/- नौ लाख पचास हजार रुपया है।

चौहद्दी :

उत्तर : पार्ट प्लॉट न0 348 श्री सुरेन्द्र सिंह
दक्षिण : ईश्वरी सिंह के वारशान
पूरब : सर्वे प्लॉट न0 349
पश्चिम : सहायक रास्ता बादहूँ पार्ट प्लॉट न0 348

यह कि जमीन मालिक प्रथम पक्ष उक्त सर्वे खसरा संख्या 348 में मवाजी 10 कट्टा 14 धुर जमीन पर आवासीय बहुमंजिला इमारत निर्माण के उद्देश्य से दिनांक 22-01-2019 ई0 को ही एक विकास एकरारनामा का निष्पादन कर चुके है। जिसमें पूरे भूखण्ड का चौहद्दी दिया गया था। लेकिन जमीन के मापी के पश्चात मवाजी 392 वर्गफीट जमीन उक्त जमीन से अधिक हो जाता है। इसलिये उक्त एराजी के सम्बन्ध में पुनः इस विकास एकरारनाम का निष्पादन दोनो पक्षों के बीच किया जा रहा है।

2. यह कि उपर वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष जो भूखण्ड स्वामी है जिसपर भूस्वामी/लेख्यकारीगण का दखल कब्जा निर्विवाद रूप से शान्ति पूर्वक चला आ रहा है, सम्पत्ति हर प्रकार के स्वत्वदोष वो ऋण भार से मुक्त है तथा नुक्स हकियत वारदन से पाक साफ है।

3. यह कि भूखण्ड स्वामी के आन्तरिक इच्छा से उक्त भूखण्ड पर एक बहुमंजिला इमारत एवं आधुनिक तकनीक से प्लैटों का निर्माण उक्त भूखण्ड पर करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्ता के साथ यह भूखण्ड निर्माण विकास एग्रीमेन्ट (एकरारनामा) उभय पक्षों के बीच निष्पदित आपसी सहमति एवं निर्धारित शर्तों पर पूर्ण मानसिक स्वस्थता के हालत में नफा नुकसान सोच-समझकर बिना जोर दबाव से किया जाता है।

Shrishly Contrada Pvt. Ltd.

Director

Surya Kumar

13/2/26

गोपनीय
13/2/26



(5)

4. यह कि विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) इस जमीन पर उपर्युक्त लिये गये निर्णय के अनुसार फ्लैट निर्माण करने के लिए सहमत है। इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च को विकासकर्ता पूर्णतया वहन करेंगे।

5. यह कि इस एकरारनामा के होते ही विकासकर्ता भूखण्ड स्वामी की अनुमति से उक्त जमीन के विकास के लिए अविलम्ब ही नक्शा बनायेगें जिससे दोनों पक्षों को अधिकाधिक लाभ हो सके।

6. यह स्वामी को उपर्युक्त नक्शा का नगर परिषद् दानापुर निजामत से अनुमति लेने के लिए जमीन मालिक के हस्ताक्षर से जमा किया जायेगा, इसमें किसी भी पक्ष को एतराज नहीं होगा, परन्तु इसमें जो भी खर्च होगा यानि सभी खर्च द्वितीय पक्ष (विकासकर्ता) को वहन करना होगा।

7. यह कि नगर परिषद् दानापुर निजामत में नक्शा जमा करने हेतु प्रस्तावित नक्शा पर जो भी आवश्यक हो प्रथम पक्ष अपना हस्ताक्षर करेंगे।

8. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष निर्माण पूरा करने के पश्चात भूखण्ड स्वामी के अपने भूखण्ड के निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा भूस्वामी को देंगे तथा 50 प्रतिशत हिस्सा विकासकर्ता का होगा।

9. भूखण्ड स्वामी को बहुमंजिला इमारत के प्रत्येक मंजिल पर प्रत्येक दिशा में उनका हिस्सा दिया जायगा। उसी प्रकार ग्राउन्ड फ्लोर पर पार्किंग में से अपने हिस्से का पार्किंग भूखण्ड स्वामी को दिया जाएगा जो सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। जेनेरेटर, लिफ्ट, इंटरकॉम, तथा ट्रान्सफॉर्मर का अतिरिक्त शुल्क भूस्वामी (प्रथम पक्ष) को नहीं देना होगा।

Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

Director

Surya Kumar
18/2/26

नागेन्द्र सिंह
13/2/26



(6)

10. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा बेचे गये फ्लैट के क्रेता अपने-अपने हिस्से फ्लैट-पार्किंग एरिया का बिक्री करने, किराया लगाने एवं ऋणभार तथा निजी उपयोग के लिए स्वतंत्र है।

11. यह कि रेरा से परियोजना के निबंधन की तिथि से तीन वर्ष छः माह के अन्दर विकास कर्ता उक्त परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लेंगे।

12. यह कि भूखण्ड स्वामी ने यह भी विश्वास दिलाया है इस एग्रीमेन्ट के तत्वाधान में विकासकर्ता के निर्माण कार्यों के प्रगति हेतु अधिकार दिये जायेंगे। जिसके तहत द्वितीय पक्ष को अपने हिस्से का फ्लैट तथा पार्किंग एरिया को एकरारनामा कर बिक्री एवं निबंधन आदि करने का अधिकार होगा।

13. यह कि विकासकर्ता पहले भूखण्ड स्वामी के हिस्से को निर्माण पूर्ण कर सभी सुविधाओं के साथ विकसित कर अवधि के अन्दर सौंप देंगे।

14. यह कि इस एग्रीमेन्ट के तहत उभय पक्ष एक दूसरे को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल सुपर निर्मित क्षेत्रों के प्रस्तावित सुविधाओं के साथ फ्लैट को उपयोग व उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्से पर स्वयं अथवा उत्ताधिकारी अथवा प्रतिनिधि या खरीददार वगैरह अथवा सोसाइटी के लिए स्वतंत्र होंगे।

15. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य संपन्न हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने का अधिकार होगा। जिससे की प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन हो सके। निर्माण कार्य में जाग्रत पूँजी का समावेश द्वितीय पक्ष स्वयं करेंगे। पूँजी मुहैया हेतु द्वितीय पक्ष किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण लेंगे, बुकिंग कार्य आर्थिक ऋण के माध्यम से अपने हिस्से के क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेंगे।

Shristy Comtrade Pvt. Ltd.

Director

Surej Kumar

13/2/26

नारी सुसिद्धि
13/2/26



(7)

16. यह कि सरकारी नितियों के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण कार्य रूक जायेगा। तब वैसे हालत में विकासकर्ता का दोष नहीं होगा, इस हालत में विकासकर्ता द्वारा विकास करने की अवधि जितना दिन कार्य बन्द होगा, उतना दिन के लिए बढ़ा दिया जायेगा।

Shrishy Comtrade Pvt. Ltd.

13/2/26

17. यह कि सभी संबंधित व्यक्ति जैसे रचनाकार, अभियंता, सर्वेयर, ठेकेदार की नियुक्ति विकासकर्ता को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

18. यह कि बहुमंजिला इमारत, योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सिमेन्ट औजार, ईट, विद्युत कनेक्सन, लोहा आदि अन्य संबंधित कार्यों हेतु संबंधित पदाधिकारियों के पास आवेदन हेतु वंछित राशि लेकर उक्त अभिलेखों को निष्पादन करेंगे।

Swraj Kumar
13/2/26

19. यह कि भूस्वामी के द्वारा सभी मूल कागजातों को अपने दरखल कब्जा में रखेंगे किसी भी वित्तीय संस्थान को डेवलॉपर्स द्वारा दिये गये ऋण आवेदन की सम्पुष्टि में उन सभी भूमि संबंधित कागजातों को प्रस्तुत करने का वादा करते हैं।

20. यह कि दोनों पक्षों के बीच यह भी सहमति प्रदान की गई है कि निर्मित क्षेत्रों का स्थानान्तरण क्रेता को सरकारी खर्च स्टाम्प ड्यूटी खर्च एवं कोट एवं रजिस्ट्रेशन खर्च का वहन खरीददार करेंगे।

21. यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार एपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5, उपधारा 1 एवं 2 तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक / संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने हिस्से को पृथक रूप से बचन / अन्तर्गत करने के

गोपनीय
13/2/26



हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायगा। विकासक अपने हिस्से के क्षेत्र को बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और बिक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

Shristy Comtrade Pvt. Ltd

Director

22. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद इस डेवलपर्स इस एग्रीमेन्ट के अनुसार उत्पन्न विवाद लाभांश प्रतिशत के संबंध में निर्मित क्षेत्र के लिए भूस्वामी एवं विकासकर्ता के बीच में निष्पादित हुआ उसके लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 तथा संशोधित नियम के तहत किया जायेगा।

23. यह कि निर्माण कार्य पूरा करने के बाद विकासकर्ता द्वारा एक एसोशियेशन सभी फ्लैट धरियों (फ्लैट मालिकों) का बनाया जायेगा जो इस एसोशियेशन के सदस्य होंगे और सभी सदस्य मिलकर अपार्टमेन्ट का रख-रखाव एवं देख-रेख करेंगे।

24. यह कि सभी न्यायिक मामलों का निपटारा पटना अधिनस्थ न्यायालय से किया जायेगा।

Surend Kumar

13/2/26

अनुसूची संख्या - 1

मौजा जलालपुर, जो अभिमन्यू नगर में स्थित है। सर्वे थाना दानापुर, हाल थाना रूपसपुर, जिला पटना के थाना न० 22 (बाइस), तौजी संख्या 5778 खाता संख्या 178 (एक सौ अठहतर), सर्वे खसरा संख्या 348 (तीन सौ अड़तालिस) का अंश भाग, कुल एराजी मवाजी 36.39 वर्गमीटर यानि मवाजी 392 वर्गफीट, जिसकी चतुर्दिक सीमा निम्न रूप से वर्णित है। २०२१ ई. ०४११०५

चौहद्दी :

उत्तर : पार्ट प्लॉट न० 348 श्री सुरेन्द्र सिंह
दक्षिण : ईश्वरी सिंह के वारशान
पूरब : सर्वे प्लॉट न० 349
पश्चिम : सहायक रास्ता बादहूँ पार्ट प्लॉट न० 348



नागे खसरा
मारीन्दरि
13/2/26

(9)

परीशिष्ट क

1. फाउन्डेशन :- आर० सी० सी० पाइलिंग भूकम्प विरोधी स्ट्रेक्चर डिजाईनर के अनुसार स्वीकृत
2. स्ट्रक्चर :- आर० सी० सी० फ्रेम स्ट्रक्चर
3. सिविल वर्क :- 1 न० ईट एवं सिमेन्ट मेटेरियल के साथ।
4. छत :- आर० सी० सी० हिट प्रुफ
5. फर्श :- भिट्टीफायड टाइल्स
6. प्लास्ट :- सिमेन्ट मोर्टार 1:6 एवं सिलिंग 1:4
7. दरवाजा :- हार्ड उड/मलेशियन सखुआ
8. खिडकी :- उडेन विन्डो , शीशा एवं पेन्टिंग के साथ
9. किचेन :- किचेन में भिट्टीफायड टाइल्स (प्लैटफार्म के उपर) तथा दो फीट तक दिवाल में सेरामिक्स टाइल्स एवं प्लैटफार्म के उपर ग्रेनाइट
10. बाथरूम :- दिवाल में 7 फीट ग्लेज्ड टाइल्स तथा सतह में फ्लोर टाइल्स , साथ ही जल आपूर्ति फिटिंग्स नल फिटिंग्स ,चीनी मिट्टी का सफेद पैरीवेयर , पैन फिटिंग्स , मास्टर बेड रूम टयालेट , गर्म एवं ठंड. पानी की व्यवस्था।
11. विद्युत वायरिंग:- कॉनसिल्ड पी० वी० सी० कन्ड्यूट वायरिंग सहित स्टैन्डर्ड क्वालिटी का फिटिंग्स के साथ ISI ब्रान्ड।
12. टी० भी० प्वाइन्ट:- सभी फ्लैटों में एक प्वाइन्ट
13. टेलिफोन प्वाइन्ट:- सभी फ्लैट में एक प्वाइन्ट (कनेक्शन नहीं)
14. सीवरेज :- सीवेज डिजाईन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ
15. केबल कनेक्शन:- प्रत्येक फ्लैट मे एक प्वाइन्ट
16. जेनेटर , लिफ्ट :- बढि.या क्वालिटी तथा समरसिबल पम्प

Shrishy Comtrade Pvt. Ltd.

Director

Surek Kumar

13/2/24

नामि भू मिट्टी
13/6/24



Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) or the B.T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 19000
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0

Amt. Paid By N.J. Stamp Paper Rs. 0
Amt. Paid Through Bank Challan Rs. 0

Registration Fee						LLR+Proc Fee	Service Charge
A1	0 C	0 H1b	0 K1a	0 Lii	0	LLR Rs. 0	Rs.500
A8	0 D	0 H2	0 K1b	0 Liii	0	Proc.Fee Rs. 0	
A9	0 DD	0 I	0 K1c	0 Mb	0	Total Rs. 0	
A10	0 E	20000 J1	0 K2	0 Na	0		
B	0 H1a	0 J2	0 Li	0			
Total 20000							

Total amount paid (Reg. Fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs - 20500

Date : 25/02/2026

Sd/-
Kumari Sweety
Registering Officer
Danapur (2802)

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur (2802) on Wednesday, 25th February 2026 by Nagendra Singh S/O Late Devdath Singh by profession Others, Status - Executant.

नागेंद्र सिंह
25/2/26

Signature/L.T.I of Presentant

Date : 25/02/2026

Sd/-
Kumari Sweety
Registering Officer
Danapur (2802)

Endorsement under section 58

Execution is admitted by Nagendra Singh, Suraj Kumar and Identified by the person (I. Name Chandan Kumar, Age 33, Sex , S/O Brahmeshwar Singh, GURDHARI BIGHA, P.S DEOKUND, AURANGABAD) whose Names, Photographs Fingerprints and Signature are affixed as such on back page/pages of the instrument.

Date : 25/02/2026

Sd/-
Kumari Sweety
Registering Officer
Danapur (2802)

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur (2802) in Book No. 56 on pages on 299 - 311 for the year 2026 and stored in database of year 2026. The summary of document No. 1908/2026 is printed on the front page of the document.

Date : 25/02/2026



Sd/-
Kumari Sweety
Registering Officer
Danapur (2802)

Application No : 260500200277

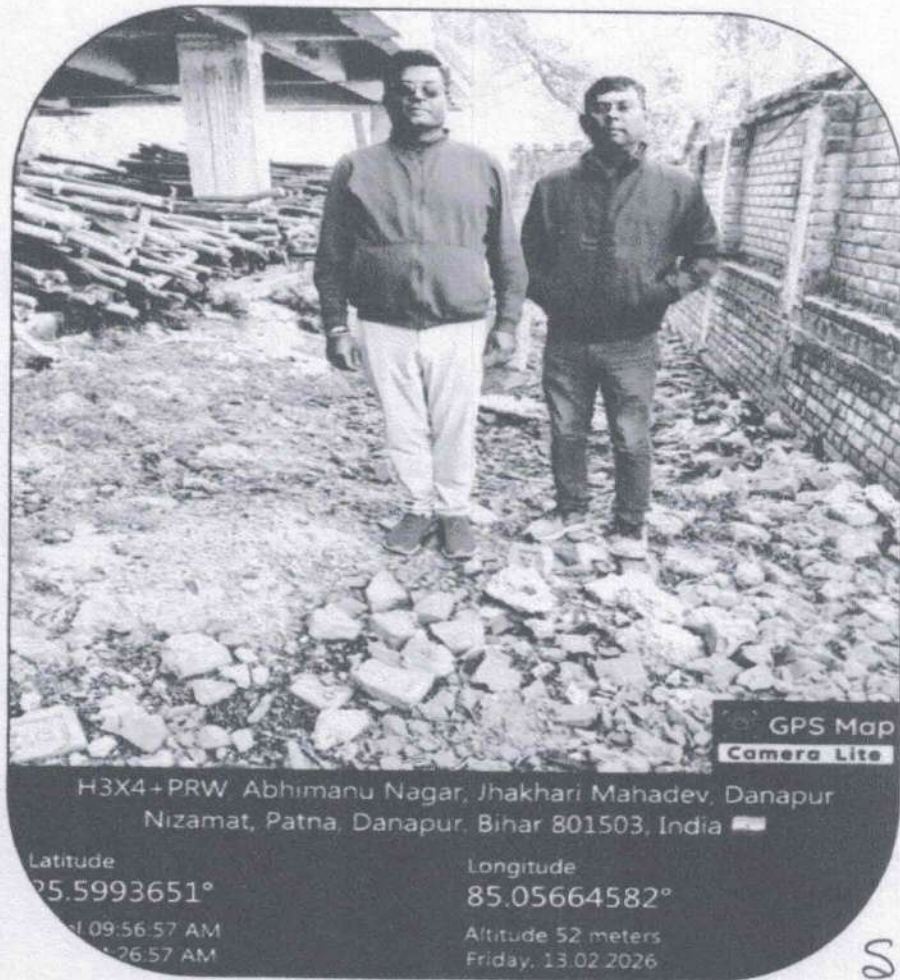
Book No : 1

Year : 2026

S.No.1947

Deed No. : 1908

अवर निबंधन कार्यालय, दानापुर
स्थल जाँच



जाँचकर्ता का हस्ताक्षर

आदरणीय श्री (अलग) एम. निरिहाजी सिंह,
अभि दलतकेन के अनुवर्त पापी

13/2/26

Surek Kumar

नाणे नृसिंह 13/2/26

बिक्रेता का हस्ताक्षर 13/2/26

Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

Director



क्रेता का हस्ताक्षर



INDIA NON JUDICIAL Government of Bihar

e-Stamp



Certificate No. : IN-BR-2600343885
 Certificate Issue Date : 11-Feb-2026 02:03 PM
 GRN No. : BHR20260209151652978576E, BHR20260210160926036409E
 Unique Doc Reference : EST-BR-2802-2600003079
 Party Name : SHRISTY COMTRADE PVT LTD
 Purchased by : SHRISTY COMTRADE PVT LTD
 Purpose : NA Article no (NA)
 Stamp Duty Paid (Rs.) : 19000 (Nineteen Thousand Only)
 Reg. Fee (Rs.) : 20000 (Twenty Thousand Only)
 LLR & P Fee (Rs.) : 0 (Zero Only)
 Miscellaneous Fee (Rs.) : 0 (Zero Only)
 Discore SC (Rs.) : 500 (Five Hundred Only)
 Total Amount (Rs.) : 39500 (Thirty Nine Thousand Five Hundred Only)

Shristry Comtrade Pvt. Ltd.

Suraj Kumar

Director

13/2/26

नागि नृ/सिंह
13/2/26



IN 2600344987



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at <https://enibandhan.bihar.gov.in> or using enibandhan Mobile App. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website/mobile app renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



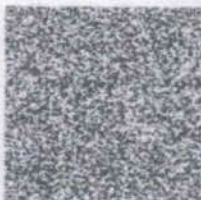
भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 1528/67001/03773

To
चन्दन कुमार
Chandan Kumar
S/O: Brahmeshwar Singh,
vill gardhari bigha post rampurchay thana deokund,
VTC: Dewakund,
PO: Haspura,
Sub District: Goh,
District: Aurangabad,
State: Bihar,
PIN Code: 824120,
Mobile: 9199131913

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Kumar, Unique Identification Authority of India
Date: 2016.12.02 18:31:23



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :
8273 1928 1653
VID : 9186 8359 9704 3086

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



चन्दन कुमार
Chandan Kumar
जन्म तिथि/DOB: 02/12/1993
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।
इसका उपयोग सर्वोपयोग (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/ ऑफलाइन एमआधार ऐप/ स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

8273 1928 1653

मेरा आधार, मेरी पहचान



Government of India



सूचना / INFORMATION

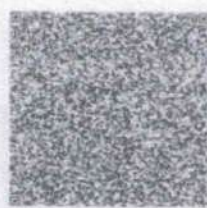
- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पर को यूआईडीआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए समायोजन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष में कम से कम एक बार आधार में अपडेट करना चाहिए।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदों/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की सांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in.
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
आमन: ब्रह्मेश्वर सिंह, ग्राम गुरधारी बिगहा पोस्ट रामपुरचय
थाना देवकुंड, देवकुंड, हसपुरा, औरंगाबाद,
बिहार - 824120
Address:
S/O: Brahmeshwar Singh, vill gardhari bigha post
rampurchay thana deokund, Dewakund, PO: Haspura,
DIST: Aurangabad,
Bihar - 824120



8273 1928 1653

VID : 9186 8359 9704 3086

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

Chandan Kumar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

बिहार BIHAR
Serial No. 877

6417 22/01/2019 1000

AC 807733

सुरि कुमार अरवि सा. कुशीयन, जगदीश सिंह
आना सिंह अहा लि. पटना

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 22/01/2019 by Nagendra Singh
A Stamp Duty of Rs. 591100/- and other Fees of Rs. 20500/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 855 in Book No. 1, Volume No. 17 on pages from 248 to 261 and has been preserved in total 14 pages in C.D. No. 3 / Year 2019

Date: 22/01/2019

Token No: 898 /2019

Signature with Date
(Aparna Shrivastava)
Registering Officer, Danapur

Scanned by:

दस्तावेज जारी

विकास एकरारनामा

(DEVELOPMENT AGREEMENT)

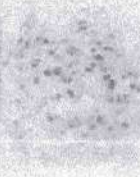
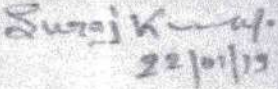
यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 22 माह जनवरी सन् 2019 ई० को
निम्नलिखित पक्षकारों के बीच निष्पादित किया जाता है।

1. श्री नागेन्द्र सिंह पिताका नाम स्वर्गीय देवदत्त सिंह.

2. श्री सूरज कुमार पिताका नाम श्री नागेन्द्र सिंह.

Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

Director

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Birendra Kumar(Dir. Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.)						
Sig.	 22/01/19						
Presented By	Nagendra Singh						
Sig.	 22/01/19						
Executant	Nagendra Singh	X Photo	X Thumb	X Index	X Middle	X Ring	X Little
Sig.	 22/01/19						
Executant	Suraj Kumar						
Sig.	 22/01/19						
Identified By	Upendra Singh						
Sig.	 22-01-2019						

(2)

निवास स्थान - जलालपुर, थाना-रूपसपुर, पत्रालय - सहाय नगर, धनौत, जिला - पटना, बिहार भारतीय नागरिक, जो इसके परचात भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष) के नाम से सम्बोधित किये जायेंगे, भूखण्ड स्वामी से अभिप्राय उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है, जिसका सम्बन्ध भूखण्ड या भूखण्ड स्वामी में निहित प्रतिनिधि, वारिसान, सदस्य, प्राधिकृत एजेन्ट, उत्तराधिकारी एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि सम्मिलित है। मो० नं०-9431069788

एवं

सृष्टि कॉमट्रेड प्रा० लि०, मुरली चक, जगदेव पथ, थाना हवाई अड्डा, पत्रालय - बी० बी० कॉलेज, जिला - पटना -800 014 है, निबंधन सं०-U45200BR2009PTC014989 जिन्हें इसके परचात विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) के नाम से सम्बोधित किया जायगा, विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) से अभिप्राय यह है कि विकासकर्ता के साथ साथ उनके उत्तराधिकारी एवं प्राधिकृत एजेन्ट तथा नियमित उत्तराधिकारी से है, जिनका संबंध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष विकासकर्ता से है, सम्मिलित किया जाता है। विकासकर्ता सृष्टि कॉमट्रेड प्रा० लि० द्वारा निदेशक श्री विरेन्द्र कुमार पिता का नाम स्वर्गीय रामदहिन सिंह, निवास स्थान मुरली चक, जगदेव पथ, थाना हवाई अड्डा, पत्रालय - बी० बी० कॉलेज, जिला - पटना -800 014, बिहार, भारतीय नागरिक, जो भूखण्ड स्वामी के घर जाकर उनके सर्व प्लॉट संख्या 348, रकबा - करीब 10 कटठा 14 मुर, मौजा जलालपुर थाना - दानापुर, हाल थाना - रूपसपुर, जिला - पटना, खाता संख्या 178, तौजी संख्या 5778, थाना संख्या 22 जिला पटना पर बहुमंजली इमारत बनाने का प्रस्ताव किया तथा दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हुए निम्नलिखित शर्तों पर इसे स्वीकार करते हैं।

मो० नं०-9939391969

यह कि अनुसूचि -1 में वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष की खतियानी सम्पत्ति है जो सर्व खतियान में चुनचुन सिंह का पुत्र वर्ज है अन्तराल में में चुनचुन सिंह अपने पीछे तीन पुत्र क्रमाशः श्री समानन्द सिंह, श्री हेमचरी सिंह एवं श्री आदल सिंह को छोड़कर



Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

Director

(3)

स्वर्गवास कर गये । श्री बादल सिंह संयुक्त परिवार में ही नावलद स्वर्गवास कर गये । श्री चुनचुन सिंह के मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह एवं हजारी सिंह आपस में खानगी बंटवारा से बंट गये तथा श्री रामचन्द्र सिंह अपने पीछे एक मात्र पुत्र श्री रामकृष्ण सिंह को छोड़कर इन्तेकाल कर गये । श्री रामकृष्ण सिंह ने अपने मिले जायदाद को निबंधित वशिकार से दिनांक 04.07.1957 ई० को प्रथम पक्ष जमीन मालिक के पिता देवदत्त सिंह के नाम से रजिस्ट्री कर दिये हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अनुसूचि - 1 कि सम्पूर्ण एराजी का मालिक श्री देवदत्त सिंह हो गये तथा श्री देवदत्त सिंह अपने पीछे दो पुत्र क्रमशः श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री नागेन्द्र सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये । इस प्रकार प्रथम पक्ष श्री नागेन्द्र सिंह एवं उनके नाना सुरेन्द्र सिंह अनुसूचि- 1 की सम्पत्ति को अपने सहमती से बंटवारा कर दखल कब्जा में चले आ रहे हैं । जिसका राजस्व रसीद प्रथम पक्ष को अपने मिले हिस्से की सम्पत्ति का रसीद कटता चला आ रहा है । जिसपर प्रथम पक्ष श्री नागेन्द्र सिंह एवं उनके पुत्र श्री सूरज कुमार का स्वामित्व, अधिकार एवं शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है ।

1. यह कि उपर वर्णित प्रथम पक्ष का सदस्य मूखण्ड स्वामी है जो कि मूखण्ड, जिसका रकबा करीब 10 कट्ठा 14 धुर समिलात के मालिक मुस्तकिल निर्विवाद रूप से है जो मौजा-जलालपुर, जो अभिमन्यु नगर में स्थित है परगना फुलवारी सर्वे थाना - दानापुर, हाथ थाना रूपसपुर



Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

[Signature]
Director

[Signature]
Director
22/01/19

[Signature]
22/01/2019

[Signature]
22.1.19

जिला पटना, जो अवर निबंधन कार्यालय दानापुर तथा जिला एवं सदर निबंधन कार्यालय पटना के क्षेत्राधीन है, जिसका सर्वे शाना नं० 22 खाता नं० 178, सर्वे प्लॉट नं० 348 एवं नगर परिषद् दानापुर / खगौल के अन्तर्गत है, जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से वर्णित है। जिसका मूल्य मो० 2,85,55,000/- दो करोड़ पचासी लाख पचपन हजार रुपये मात्र है।

चौ ह द दी

उत्तर	:-	पार्ट प्लॉट नं० 348 श्री सुरेन्द्र सिंह
दक्षिण	:-	ईश्वरी सिंह के मागीरामन
पूरुब	:-	सर्वे प्लॉट नं० 349
पश्चिम	:-	रास्ता बादहु पार्ट प्लॉट नं० 348

- यह कि उपर वर्णित सम्पत्ति प्रथम पक्ष जो भूखण्ड स्वामी है जिसपर भूस्वामी/लेख्यकारी का दखल कब्जा निर्विवाद रूप से शान्ति पूर्वक चला आ रहा है, सम्पत्ति हर प्रकार के स्वत्वदोष वी ऋण भार से मुक्त है तथा नुक्स हकियत वारदन से पाक साफ है।
- यह कि भूखण्ड स्वामी के आन्तरिक इच्छा से उक्त भूखण्ड पर एक बहुमंजिला इमारत एवं आधुनिक तकनीक से प्लेटों का निर्माण उक्त भूखण्ड पर करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्ता के साथ यह भूखण्ड निर्माण विकास एग्रीमेन्ट (एकरारनामा) उक्त पक्षों के बीच निष्पदित आपसी सहमति एवं निर्धारित शर्तों पर पूर्ण मानसिक स्वस्थता के हालत में नफा नुकसान सोच-समझकर बिना जोर दबाव से किया जाता है।
- यह कि विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) इस जमीन पर उपर्युक्त लिये गये निर्णय के अनुसार प्लेट निर्माण करने के लिए सहमत है। इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा, उस खर्च को विकासकर्ता पूर्णतया वहन करेंगे।



5. यह कि इस एकरारनामा के होते ही विकासकर्ता भूखण्ड स्वामी की अनुमति से उक्त जमीन के विकास के लिए अविलम्ब ही नक्शा बनायेंगे जिससे दोनों पक्षों को अधिकाधिक लाभ हो सके।
6. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण हेतु संरचना का नक्शा वास्तुविद से स्वयं बनवायेंगे और उसमें होने वाले खर्च को पूरा वहन करेंगे। साथ ही साथ नक्शा को नगर परिषद दानापुर / खगौल या अन्य किसी प्राधिकृत संस्था से स्वीकृति हेतु जमा करेंगे तथा स्वीकृति लेने में जो भी खर्च होगा उसे द्वितीय पक्ष ही करेंगे।
7. यह कि नगर परिषद दानापुर / खगौल में नक्शा जमा करने हेतु प्रस्तावित नक्शा पर जो भी आवश्यक हो, प्रथम पक्ष अपना हस्ताक्षर करेंगे तथा द्वितीय पक्ष प्रस्तावित नक्शा नगर परिषद दानापुर से विकास एकरारनामा कि तीथी से एक वर्ष के अन्दर नक्शा स्वीकृत करा लेवेंगे, इसके लिए द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होंगे।
8. यह कि नगर परिषद दानापुर / खगौल द्वारा स्वीकृत नक्शों में किसी प्रकार का विचलन या बदलाव द्वितीय पक्ष नहीं करेंगे। अगर द्वितीय पक्ष बहुमंजिली इमारत बनाने में किसी तरह का विचलन या बदलाव किया तो इसके लिये जो भी कानूनी व्यवधान उत्पन्न होगा उसकी पूरी जबाबदेही द्वितीय पक्ष पर होगी।
9. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष निर्माण पूरा करने के पश्चात् भूखण्ड स्वामी के उनके उपर्युक्त भूखण्ड में निर्मित होने वाली कुल परम निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) हिस्सा जमीन मालिक / प्रथम पक्ष का होगा। जिसे विकासकर्ता भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष) को पूर्ण रूप से



(6)

विकसित कर हर सुविधा के साथ सौंपें तथा शेष हिस्सा 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) हिस्सा विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) का होगा। उसी प्रकार निचली मंजिल पर जो भी पार्किंग क्षेत्र बनेगा उसमें 50 प्रतिशत हिस्सा भूखण्ड स्वामी को एवं 50 प्रतिशत हिस्सा विकासकर्ता का होगा। प्रथम पक्ष को जो प्लॉट मिलेगा, उसका नापी सुपर बिल्ट अप एरिया का होगा, सुपर बिल्ट अप एरिया का सभी सुविधा भी प्रथम पक्ष को मिलेगा। इसी प्रकार सुपर बिल्टअप एरिया का 50 प्रतिशत हिस्सा ही द्वितीय पक्ष को मिलेगा। बहुमजिला इमारत का नाम शिव शंकर इन्कलेव के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

10. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा बेचे गये प्लॉट के क्रेता अपने अपने हिस्सों के प्लॉट, पार्किंग एरिया को बिक्री करने, किराया पर लगाने एवं ऋणभार तथा निजी उपयोग के लिये स्वतंत्र हैं।
11. यह कि एपार्टमेंट एक्ट 2006 की धारा 5 (1) के अनुसार भू स्वामी एवं भू विकासक के बीच यह सर्त निर्धारित है कि प्रस्तावित योजना के प्रारूप के स्वीकृति मिलने के पश्चात भू विकासक बनने वाली इमारत में भूस्वामी के हिस्सा का निर्धारण नक्शा पास होने की तिथी से छः माह के अन्दर कर देंगे तथा शेष क्षेत्र पर अपना स्वामित्व स्थापित करके अपने हिस्से निर्मित क्षेत्र को बिक्री कर सकते हैं।



Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

Director

22/10/19

22/10/19

22/10/19

अपने खरीदारों से अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं . अपने खरीदारों स्थायित्व निर्धारण हेतु विक्री पत्र का निष्पादन कर सकते हैं . विक्री पत्र या अन्य किसी दस्तावेज के निबंधन हेतु किसी भी उचित निबंधन कार्यालय में दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित कर सकते हैं। इसमें प्रथम पक्ष को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा तथा इसके लिये विकासकर्ता को भूस्वामी से किसी प्रकार के अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार भूस्वामी भी अपने हिस्सा के भूभाग को अपने किसी भी खरीदारों के नाम विक्री कर सकें एवं खरीदारों के स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु किसी प्रकार के दस्तावेज का निष्पादन करके उसका निबंधन करेंगे। इसमें द्वितीय पक्ष किसी प्रकार का अवरोध नहीं करेंगे तथा द्वितीय पक्ष का किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होगा।

22/01/2019
Director

12. यह कि जमीन मालिक एवं विकासक ने आपस में यह तय किये है कि इस विकास एकरारनामा के निष्पादन के पश्चात् विकासक नगर परिषद् दानापुर / खगोल या किसी अन्य प्राधिकार से भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित करवा लेंगे तथा प्राधिकार द्वारा नक्शा पारित होने की तिथि से तीन साल छः माह के अन्दर विकासकर्ता कार्य पूर्ण करेंगे। इसके अतिरिक्त छः माह का समय ग्रेस के रूप में दिया जायेगा। यदि विकासकर्ता समय अवधि के अन्दर फ्लैटों का निर्माण नहीं करता है तो विकासकर्ता जमीन मालिक को 10,000/- दस हजार रुपया प्रति माह हर्जाना के रूप में भुगतान करेंगे।

22/01/2019
अग्रिम

13. यह कि निर्मित भवन में प्रथम पक्ष को समी तल्ले पर 50 प्रतिशत हिस्सा समी दिशा में मिलाकर मिलेगा . इसमें प्रथम पक्ष का कोई आपत्ति नहीं है।



नागेनासिद
22/1/19

14. यह कि भूखण्ड स्वामी ने यह भी विश्वास दिलाया है इस एग्रीमेंट के तत्वाधान में विकासकर्ता के निर्माण कार्य के प्रगति हेतु अधिकार दिये जायेंगे। जिसके अनुसार प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को अपने हिस्से का प्लेट तथा पार्किंग एरिया को एकरारनामा कर विक्री एवं निबंधन आदि करने का अधिकार होगा।
15. यह कि विकासकर्ता पहले भूखण्ड स्वामी के हिस्से को निर्माण पूर्ण कर सभी सुविधाओं के साथ विकसित कर अवधि के अन्दर सौंप देंगे एवं Possession Letter देंगे वो शेष द्वितीय पक्ष के हिस्से के निर्माण अगर निर्धारित समय में देरी हागी तो उसमें प्रथम पक्ष को एतराज नहीं होगा।
16. यह कि प्रथम पक्षगण तथा उसके उत्तराधिकारी निर्माण के अवधि में कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं एवं अपना सुझाव देंगे।
17. यह कि इस एग्रीमेंट के तहत उभय पक्ष एक दूसरे को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल सुपर निर्मित क्षेत्रों के प्रस्तावित सुविधाओं के साथ छत, बालकोनी, एमिनिटीज, प्लेट को उपयोग व उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्सों पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि या खरीदारों वगैरह अथवा इनको मनोनित सासाइटी के लिए स्वतंत्र होंगे।
18. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य संपन्न हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने का अधिकार होगा। जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन हो सके। पूंजी मुहैया हेतु द्वितीय पक्ष किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से अधिक ऋण लेंगे, बुकिंग



कार्य , आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ अपने हिस्से के क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेंगे।

19. यह कि सरकारी नितियों के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण कार्य रुक जायेगा। तब ऐसे हालत में विकासकर्ता का दोष नहीं होगा , इस हालत में विकासकर्ता द्वारा विकास करने की अवधि जितना दिन कार्य बन्द होगा , कागज के अनुसार उतना दिन के लिए बढ़ा दिया जायेगा।
20. यह कि सभी संबंधित व्यक्ति जैसे उच्च श्रेणी के रचनाकार , अभियंता , सर्वेयर , ठेकेदार की नियुक्ति विकासकर्ता को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
21. यह कि बहुमंजिला इमारत, योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सिमेंट औजार ईट , विद्युत कनेक्शन , लोहा आदि अन्य संबंधित कार्य हेतु संबंधित पदाधिकारियों के पास आवेदन हेतु वंछित राशि लेकर उक्त अभिलेखों को निष्पादन करेंगे।
22. यह कि भूस्वामी के द्वारा सभी मूल कागजातों की छाया प्रति द्वितीय पक्ष को देगे एवं सभी मूल कागजात जमीन मालिक अपने दखल कब्जा में रखेंगे किसी भी वितीय संस्थान को डेबलपर्स द्वारा दिये गये ऋण आवेदन की सम्पुष्टि में उन सभी भूमि संबंधित कागजातों को प्रस्तुत करने का वादा करते हैं।
23. यह कि दोनों पक्षों के बीच यह भी सहमति प्रदान की गई है कि निर्मित क्षेत्रों का स्थानान्तरण क्रेता को सरकारी खर्च स्टाम्प इयूटी खर्च एवं रजिस्ट्रेशन खर्च सहित भुगतान करने होंगे।



Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

22.1.19
Director

24. यह कि जब कभी विकासकर्ता को भूखण्ड स्वामी से संबंधित प्लैट क्षेत्र पर बने प्लैट के स्थानान्तरण हेतु किसी बसोका पर हस्ताक्षर निष्पादन के समय जरूरत पड़ेगी उनके साथ लेकर उनकी सहमति से किसी भी तीसरे पक्ष के साथ खरीद फरोख्त के लिए स्वामित्व हस्तान्तरण हेतु कागजात पर हस्ताक्षर बनायेंगे एवं संबंधित भूखण्ड स्वामी उस गवाही के रूप में हस्ताक्षर बनायेंगे तथा निर्धारित हिस्सा के मुताबिक ही आचरण करेंगे उसी प्रकार जमीन मालिक भी अपने हिस्से से पड़ने वाले प्लैट या पार्किंग क्षेत्र का पूर्ण स्वामी होंगे तथा हस्तान्तरण के समय अगर आवश्यक हुआ तब विकासकर्ता निष्पादन के समय गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर देंगे। इसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है नहीं भविष्य में होगा।
25. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद इस डेवलपर्स इस एग्रीमेन्ट के अनुसार उत्पन्न विवाद लाभार्थ प्रतिशत के संबंध में निर्मित क्षेत्र के लिए भूस्वामी एवं विकासकर्ता के बीच में निष्पादित हुआ उसके लिए विवाद निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय दानापुर पटना में ही होगा।
26. यह कि निर्माण कार्य पूरा करने के बाद विकासकर्ता एवं प्रथम पक्ष के द्वारा एक एसोशियेशन सभी प्लैट धरियाँ (प्लैट मालिकों) का बनाया जायेगा, जो इस एसोशियेशन के सदस्य होंगे और सभी सदस्य मिलकर अपार्टमेंट का रख-रखाव एवं देख-रेख करेंगे।
27. यह कि भविष्य में प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति निस्वत किसी प्रकार का कोई एकरारनामा किसी अन्य के साथ नहीं करेंगे वो यदि करें तो उनके द्वारा किया गया एकरारनामा वैध एवं गैर कानूनी होगा। तथा द्वितीय



22/01/2019

22/01/2019

22-1-19

यस का अपने हिस्से के प्लेट का एकरारनामा एवं निबंधन का दस्तावेज कानूनी प्रक्रिया के तहत ही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

यह कि जमीन मालिक को निर्मित क्षेत्र में 50 प्रतिशत के अतिरिक्त मोड 10,00,000/- दस लाख रुपये RTGS द्वारा विकासक ने भुगतान किया है जिसका UTR No. SDC38865023 है जो उक्त राशि Non Refundable समझी जायेगी।

परीशिष्ट के

1. फाउन्डेशन — आर० सी० सी० पाइलिंग भूकम्प विरोधी स्टेम्पर डिजाइनर के अनुसार स्वीकृत।
2. स्ट्रक्चर — आर० सी० सी० फ्रेम स्ट्रक्चर
3. सिविल वर्क — 1 न० ईट वर्क सिमेंट ग्रेटेरियल के साथ।
4. छत — आर० सी० सी० हिट पुफ, वाटर पुफ
5. फर्श — मिट्टीफायड टाइल्स
6. प्लास्टर — सिमेंट मोर्टार 1:6, सिलिंग 1:4
7. दरवाजा — पलश डोर
8. दीवार — हाई उड/मलेशियन सखुआ।
9. खिड़की — उडेन विन्डो, शीशा एवं पेन्टिंग के साथ
10. किचन — किचन में मिट्टीफायड टाइल्स (प्लैटफार्म के ऊपर दो फीट तक दिवाल में सेरामिक्स टाइल्स एवं प्लैटफार्म के ऊपर ग्रेनाइट
11. बाथरूम — दिवाल में 7 फीट ग्लेज्ड टाइल्स तथा सतह में पलोर टाइल्स, पलोरिंग के साथ ही जल आपूर्ति, फिटिंग्स, नल फिटिंग्स, चीनी मिट्टी का सफेद पैन, फिटिंग्स, मास्टर बेड रूम में टायलेट गर्म एवं ठंड पानी की व्यवस्था सभी सामग्री ISI मार्गदर्शिका की जायेगी।



Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

22.1.19
Director

22/01/2019

22/01/2019

12. विद्युत वायरिंग :- कॉन्सिड पी0 वी0 सी0 कन्ड्यूट वायरिंग सहित स्टैंडर्ड क्वालिटी का फिटिंग्स के साथ। ISI ब्रान्ड
13. टी0 भी0 प्वाइन्ट :- सभी पलैटों के प्रत्येक रूम में एक प्वाइन्ट
14. टेलिफोन प्वाइन्ट :- सभी पलैट में एक प्वाइन्ट (कनेक्शन नहीं)
15. सीवेज :- सीवेज डिजाइन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ।
16. केबल कनेक्शन :- प्रत्येक पलैट में एक प्वाइन्ट
17. जेनेटर, लिफ्ट :- बढ़िया क्वालिटी समरसिबल पम्प

मुख्य स्वामी (प्रथम पक्ष) तथा विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) उपरोक्त सभी बातों एवं शर्तों पर सहमत हैं तथा वादा करते हैं कि मिल जुलकर इस कार्य को पूरा करेंगे।

लेख्यकारी प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

साक्ष्यगण

1. उषेन्द्र सिंह 21/01/2019
 22-01-19
 श्री. मोहन सिंह
 श्री. गौरीचन्द, पदवा
 22-01-2019 22/01/2019

लेख्यकारी द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

2. रमणी सिंह
 पति: श्री. शक्ति सिंह
 श्री. सुरेश कुमार
 श्री. मोहन सिंह
 पुत्राचार्य श्री
 प्रारूपकर्ता 22/01/2019
 श्री. देव कुमार
 श्री. देव कुमार
 श्री. देव कुमार
 22/01/2019



Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

Director

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 591100/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper Rs. 1000/-
Amt. paid through Bank Challan Rs. 610600/-

Registration Fee										LLR + Proc Fee		Service Charge	
FEE PAID	A1	20000	C	0	H1b	0	K1a	0	LII	0	LLR	0	500
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	LIII	0	Proc.Fee	0	
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	Total	0	
	A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0			
	B	0	H1a	0	J2	0	LI	0		0			
TOTAL-										20000			
Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. -										20500			

Date: 22/01/2019

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Tuesday, 22nd January 2019 by Nagendra Singh S/O Late Deodutt Singh by profession Others. Status - Executant

नागेंद्र सिंह

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 22/01/2019

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Upendra Singh' age '52' Sex 'M', 'S/O Sadhu Saran Singh', resident of 'Tetari, Mohanpur, Patna'), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date: 22/01/2019

Registering Officer
Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 17 on pages on 248-261, for the year 2019 and stored in CD volume No. CD-3 year 2019. The document no. is printed on the Front Page of the document.



Registering Officer
Danapur

Date: 22/01/2019

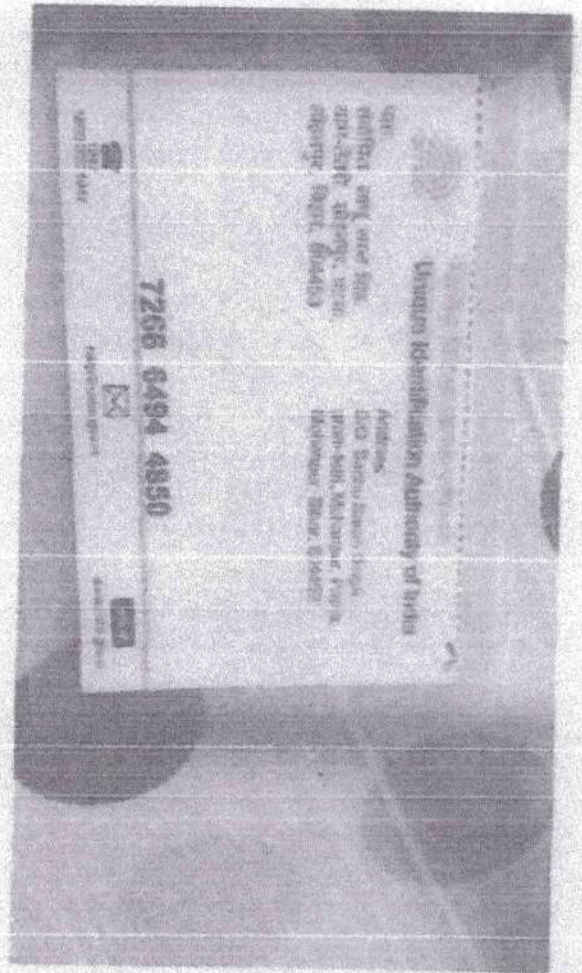
Token No.: 898 Year: 2019 S.No.: 877

Deed No.: d No.: 855

Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

1/22/2019

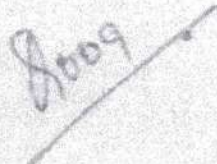
Director



उपेन्द्र सिंह



[Handwritten signature]




S-CHALLAN
Government of Bihar
BTC-4

Date	22/01/2019 01:23:19 PM
From	
To	
PAY AMOUNT	
50000.00	
20000.00	
0.00	
50000.00	

DDA, DIST-83301

DEPOSIT/PAY IN SLIP 22/1/19

State Bank of India
Branch :
SB/CA/RD/OD/CG/TDL A/c No./Credit Card No.
20170454192
Name : 3102130
Tel. No. :
Amount : 500/-
Rupees in words :
Choose the Mode of Bank & Branch :
CITY
Total : 500/-
S/O Payee Office
DDP toll free 24 Hours Call Centre No. 18004263000, 1800112211

[Signature]
Director



E-CHALLAN
Government of Bihar
ETC-4

Valid Upto	06/02/2019	Date	22/01/2019 04:26:54 PM		
GRN	BHFC01991207560M	From			
Department	Registration, Excise & Prohibition Department	To			
Office Name	Danapur				
Financial Year	2018-2019				
Treasury	Danapur				
ACCOUNT HEAD DETAILS		PAY AMOUNT			
RX030021030001-75-49-STAMP DUTY ON IMPRESSING OF DOCUMENTS		1100.00			
RX030031040001-75-49-FEES FOR REGISTERING DOCUMENTS		0.00			
RX029006000006-00-01-LANDLORD REVENUE AND PROCESSING FEES		0.00			
Total Amount: Rupees One Thousand One Hundred Only		1100.00			
PAYER DETAILS					
Tax ID (if any)					
Unique Id					
Name : SHRISHTY COMTRADE PVT. LTD.					
Address : MURLI CHAK JAGDEV PATH, PS-HAWA, LODA, DIST-PATNA					
PAYMENT DETAIL		FOR USE IN RECEIVING BANK			
BANK Name : SBI		CIN	null	REF No	CPM5087767
Branch :		Date & Time : 22/01/2019 04:26:54 PM			
		Scroll No & Date :			

Shrishty Comtrade Pvt. Ltd.

[Signature]